भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3560

10.08.2026 को उत्तर के लिए

वृक्षों की अवैध कटाई और वन संरक्षण

3560. डॉ. अमर सिंहः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में विधि-विरुद्ध रीति से वृक्ष काटने की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों में विधि-विरुद्ध रीति से वृक्ष काटने के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या कितनी है और दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन क्षेत्र, जैव-विविधता और जलवायु अनुकूलता पर ऐसी विधि-विरुद्ध कटाई के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा विधि-विरुद्ध रीति से वृक्ष काटने को रोकने के लिए निगरानी, देखरेख और विधि कार्यान्वित करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है, और प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का वृक्षारोपण, लोगों की भागीदारी बढ़ाने और वनों के संरक्षण के लिए कोई नई योजना या नीतिगत उपाय शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ.) देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर वृक्षों की अवैध कटाई के मामले संज्ञान में आते रहे हैं। वनों एवं वृक्ष संसाधनों का संरक्षण तथा प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, तथा संबंधित राज्यों के वन अधिनियमों, वृक्ष संरक्षण अधिनियमों एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत उचित कार्रवाई करते हैं। वृक्षों की अवैध कटाई की घटनाओं का पता चलने पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत मामले दर्ज किए जाते हैं तथा दोषियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष विधिसम्मत कार्रवाई की

जाती है। इस संबंध में विवरण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संधारित किया जाता है।

मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण के माध्यम से उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग तथा क्षेत्र-आधारित भू-सत्यापन का उपयोग करते हुए भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के माध्यम से देश के वन एवं वृक्ष आच्छादन का द्विवार्षिक रूप से आकलन करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 में प्रकाशित आकलन की तुलना में देश के वन आच्छादन में 156.41 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आच्छादन में 1289.40 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षों की अवैध कटाई से वन पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता तथा वनों के पारिस्थितिकीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशिष्ट घटनाओं के प्रभावों का निराकरण संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

मंत्रालय देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और सतत प्रबंधन सहित वन और वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), तटरेखा पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (एमआईएसटीआई), प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, और वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर शुरू किया गया और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी रखा गया वृक्षारोपण अभियान "एक पेड़ माँ के नाम (# प्लांट4मदर)", हरित आवरण बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण के माध्यम से देश भर में वृक्षारोपण कार्यकलापों को बढ़ावा देता है।

मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विधि के उपबंधों के अनुरूप वनों एवं वृक्षों के संरक्षण, जिसमें अवैध कटाई की रोकथाम भी शामिल है, के संबंध में समय-समय पर परामर्शिकाएँ जारी किए जाते हैं। इस उद्देश्य से किए जाने वाले उपायों में वन भूमि का सर्वेक्षण एवं सीमांकन, सीमा स्तंभों की स्थापना, नियमित गश्त, प्रचलित कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना शामिल है।
